संख्या-307/2021/1344रासनि/23-1-21-47रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभा गाध्क्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद बांदा के बांदा बहराईच मार्ग(राज्य मार्ग सं0-13 ई0) के कि0मी0 280 से 285, 289 से 291, 302 से 311 तक में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा के बांदा बहराईच मार्ग(राज्य मार्ग सं0-13 ई0) के कि0मी0 280 से 285, 289 से 291, 302 से 311 तक में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य हेतु कुल लागत रू0 8,67,40,000/- (रूपये आठ करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 86,74,000/- (रूपये छियासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	मुख्य अभियंता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	5712(1)सी/27सी/सा0 म0 नवीनीकरण(भाग-12/20-21, दि0 12.11.2021	बांदा	बांदा बहराईच मार्ग(राज्य मार्ग सं0-13 ई0) के कि0मी0 280 से 285, 289 से 291, 302 से 311 तक में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	18.837	867.40	86.74

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि(जिन कार्यों में प्राविधानित हो) समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों को निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर औचित्य का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(13) उक्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0 3/2021/बी-1-375/दस-2020-231/ 2021 दिनांक 22.03.21 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(17) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त कार्य 06 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

2-इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-0029-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-307/2021/1344रासनि(1)/23-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
8. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
10. नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।